कार्यालय संचालक, संपदा संचालनालय, भोपाल

(लिंक रोड नं. 3, एकांत पार्क के पास, चार इमली)
Website : www.mpsampada.in & E-mail : directorsampada@gmail.com
Telefax No.0755-2463053

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2017–18

भोपाल में विभिन्न श्रेणियों के लगभग 11202 शासकीय आवासों का आवंटन एवं प्रबंधन संपदा संचालनालय द्वारा किया जाता है। भवनों का विवरण निम्नानुसार है :–

बी श्रेणी	105	शासकीय आवास
सी श्रेणी	61	शासकीय आवास
डी श्रेणी	255	शासकीय आवास
ई श्रेणी	483	शासकीय आवास
एफ श्रेणी	1981	शासकीय आवास
जी श्रेणी	3649	शासकीय आवास
एच श्रेणी	2159	शासकीय आवास
आई श्रेणी	2509	शासकीय आवास
कुल योग	11202	शासकीय आवास

वर्तमान में 'भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम, 2000' (संशोधित 04.10.2013, 01.10.14, 23.05.16) प्रभावशील है, जिसके अन्तर्गत शासकीय आवास आवंटन की कार्यवाही की जाती है एवं मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 के अधीन निष्कासन प्रकरण भी संधारित किये जाते हैं। आवासों के आवंटन हेतु सामान्यतः भोपाल में पदस्थापना की वरिष्ठता का क्रम रखा जाता है। 'एफ' श्रेणी के आवासों में पदस्थापना की वरिष्ठता एवं वेतनमान की वरिष्ठता दोनों के अनुसार आवास आवंटित किये जाते हैं। 'एफ' श्रेणी के आवास आवंटन समिति के निर्णय के अनुसार संचालक द्वारा आवंटित किये जाते हैं।

2) 'जी', 'एच' एवं 'आई' श्रेणी के आवासों का आवंटन पूर्णतः भोपाल में पदस्थापना की वरिष्ठता के आधार पर ही किया जाता है और यह वरिष्ठता सूची स्थायी रूप से संधारित होकर संचालनालय की वेबसाइट www.mpsampada.in पर भी प्रदर्शित की गई है।
इन श्रेणियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, गंभीर बीमारी, महिला कोटा (विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित) आदि के लिये आरक्षण है। अतः आरक्षित श्रेणियों की वरिष्ठता पृथक–पृथक संधारित की जाती है।

शासकीय आवासों का आवंटन आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जाता है ।

एफ एवं जी श्रेणी तथा एच एवं आई श्रेणी के आवासों हेतु निम्नानुसार आरक्षण लागू है :–

क्र.	विवरण	एफ/ जी श्रेणी प्रतिशत में	एचएवं आई श्रेणी प्रतिशत में
1	अनुसूचित जाति	5	7
2	अनुसूचित जनजाति	5	8
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	8	8
4	महिला वर्ग	5	5
5	मंत्रालय कोटा	7	7
6	विंकलांग कोटा	2	2
7	गंभीर बिमारी कोटा	2	2

3) विधानसभा कोटा अंतर्गत चारो श्रेणियों (एफ, जी, एच एवं आई) में प्रत्येक तीन माह में 1–1 आवास आवंटित करने के प्रावधान है ।

4) भौतिक उपलब्धियां :–

भोपाल में पुर्नधनत्वीकरण योंजना अतंर्गत साधिकार समिति दिनांक 05.08.2016 निर्णय अनुसार स्मार्टसिटी योंजना अंतर्गत आवास परिवर्तन किये जाने के कारण आवास आवंटन पर रोक थी। वर्तमान में आवास आवंटन On-line प्रकिया से किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

माह जनवरी 2015 से दिसम्बर 2017 तक कुल 1521 आवास आवंटित किये। जिसमें एफ – 320, जी – 491, एच – 440 एवं आई श्रेणी के 270 आवास आवंटित किये गयें।

5) निष्कासन :–

वर्ष 2017–18 में माह जनवरी 2017 से दिसम्बर 2017 तक सामान्य पूल एवं विभागीय अन्य विभिन्न श्रेणियों के 209 प्रकरण दर्ज किये गये, जिसमें मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर कुल 157 शासकीय आवास रिक्त कराये गये।

6) बजट प्रावधान वर्ष 2017–18 : –

वित्त वर्ष 2017–18 में शासन को प्रास्तवित बजट की स्थिति निम्नानुसार है। मुख्य शीर्ष मांग संख्या 2216 आवास 80 सामान्य 001 निर्देशन व प्रशासन 5347 संपदा संचालनालय भोपाल आयोज्नेत्तर मद में वर्ष 2016 अंतर्गत निम्नानुसार बजट प्रस्तावित हुआ हैः–

लधु शीर्ष	वर्ष 2017–18 प्रस्तावित लाख में	वर्ष 2018–19 प्रस्तावित लाख में	वर्ष 2019–20 प्रस्तावित लाख में
#11 वेतन भत्ते	90.32	102.5	124.34
#12 मजदूरी	5.95	15.00	2.00
#21 यात्रा भत्ता	0.40	0.60	0.72
#22 कार्यालय व्यय एवं अन्य	6.93	49.89	42.53
योग	103.6	167.99	169.59

7) आवास आवंटन एवं लेखा संधारण की प्रक्रिया का पूर्ण ऑटोमेशन किया जा रहा है। जिसके तहत् वेबबेस्ड साफ्टवेयर में आवेदन पत्र देने व आवास आवंटन किये जाने की आनलाईन व्यवस्था की गई है। संपदा संचालनालय द्वारा इस दिशा में भोपाल स्थित सभी शासकीय कार्यालयों के डीडीओं को सात दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर On-line आवेदन की व्यवस्था करवाई गयी है। आवास आवंटन होने पर ई–मेल/एस.एम.एस. द्वारा आवंटितीयों को आवंटन की सूचना भी दी जा सकेगी । शासकीय आवासों के आवंटन के कार्य को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिये प्रयास किये गये हैं।

8) भोपाल नगर निगम की स्मार्ट सिटी योंजना प्रस्तावित है, जिसके प्रथम चरण में प्रभावित आवासों के आंवटितीयों को आवास परिवर्तन किये जा रहे है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कार्पो.लिमि.के पत्र क्रमांक 475 दिनांक 28.12.2016 के निम्नानुसार नवीन आवास गृहों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। विवरण निम्नानुसार है : – एफ–328, जी–1556, जी– 416 एवं आई–900 कुल 3200 ।

9) भोपाल विकास प्राधिकरण की पुर्नधनत्वीकरणं योजना अंतर्गत रामनगर क्षेत्र के प्रथम चरण में आने वाले 46 आवासों को रिक्त कराया जाकर शेष आवंटितीयों को आवास परिवर्तन कर व्यवस्थापन की कार्यवाही गतिशील है।

10) वर्तमान में निम्नानुसार पद रिक्त हैं।

1.	सहायक वर्ग दो	– 1 पद
2.	सहायक वर्ग तीन	– 6 पद
3.	सहायक अधीक्षक	– 1 पद
4.	राजस्व निरीक्षक	– 2 पद
5.	भृत्य	– 3 पद

11) संपदा संचालनालय, भोपाल हेतु तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के भर्ती नियम तैयार किया गया है। कार्यालय संचालक संपदा संचालनालय भोपाल में विगत पांच वर्षो में किसी भी प्रकार की सीधी नियुक्ति प्रदान नहीं की गयी है एवं स्थानांतरण निंरक है।

न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसा है : – कुल 28 प्रकरण जिनमें 28 में जवाबदावा प्रस्तुत है शेष 25 में स्थगन है। सभी प्रकरणों में स्थगन वेकेट किये जाने हेतु लिखा गया है।

12) <u>कार्यालयीन भवन हस्तांनातरण व मरम्मत संबधी</u> :– मध्यप्रदेश शासन गृह (सामान्य) विभाग के आदेश एफ–01/144/दोए(3) दिनांक 18.01.1994 के पैरा–4 में दिये निर्देशासनुसार संपदा संचालनालय के कार्यालय भवन की व्यवस्था भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास विभाग के चारईमली लिंक रोड नम्बर 3 भवन में अस्थायी रूप से की गयी है । उपरोक्त दिनांक से आज दिनांक तक कार्यालय निंरतर संचालित हो रहा है। मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के आदेश क्रमांक एफ–6–3/2017/47 दिनांक 22 फरवरी 2017 द्वारा उपरोक्त भवन का हस्तानांतरण हो चुका है, तद्परांत भवन की मरम्मत का कार्य कराया गया है। विद्युत यांत्रिकी की जानकारी निंरक है।

सचांलक
संपदा संचालनालय,भोपाल